

जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट.

प्रकरण सं 16/2016
पिता भोला जाति मेघवाल नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी
—वादी

बनाम

शंकर पिता भोला जाति मेघवाल नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी
तहरीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहरीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त है। अधिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

भोला कचुमरा की आराजीशात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है —
मोहन पिता भोला जाति मेघवाल नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
189 भी	0.37	7.03
189 3	0.38	7.22
900 भी	0.15	3.90
900 2	0.14	3.64
901 भी	0.18	4.68
901 2	0.19	4.94
903 भी	0.28	7.28
903 3	0.02	0.52
904	0.01	टयूबवेल
905 1	0.32	8.32
899 भी	0.02	0.14
899 1	0.01	0.07
623 भी.न	0.0050	0.08
13	2.0750	47.82



शंकर पिता भोला जाति मेघवाल नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी


आ.न.	रकबा	लगान
189 / 1	0.38	7.22
189 / 2	0.37	7.03
900 / 1	0.29	7.54
901 / 1	0.19	4.94
901 / 3	0.19	4.94
903 / 1	0.28	7.28
903 / 2	0.02	0.52
905 भी	0.31	8.06
623 / 1	0.0050	0.08
899 / 1	0.04	0.28
10	2.0750	47.89

मोहन पिता भोला जाति मेघवाल नि. कचुमरा तह. बड़ीसादड़ी

आ.न.	रकबा	लगान
902	0.09	आ.चाह
1	0.09	—

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.5.20 को अदालत में सुनाया गया।

मोहर


जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.